



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान करने वाले 03 अभियुक्तगण को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹75,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत 182/2001 धारा-147,148,149,302,307,323,353,336,435,436,352,452,504,506,341/34,395,412 भा0द0सं0 व 3/4 लोकसम्पत्ति नि0 अधि0 व 7 सीएलए एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. राजेन्द्र धमाका पुत्र दीनानाथ नि0 अमन शहीद थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर 2. राजन गुप्ता पुत्र कामता उर्फ कुलदीप 3. अनिल यादव पुत्र रामनारायण निवासीगण मु0 गुरगुज कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹75,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC  
श्री सुभाष कुमार श्रीवास्तव



विवेचक  
निरी0 श्री नैपाल सिंह  
सीबीसीआईडी लखनऊ



पैरोकार थाना सुमेरपुर  
का0 जगत सिंह